फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक - 02.04.2026

थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा लूट के अभियोग से सम्बन्धित प्रकाश में आये 01 अभियुक्त व 01 बाल अपचारी को लूटे गये पर्स व रुपये एवं मोबाइल तथा 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मऊदरवाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 127/2026 धारा 309(6) बीएनएस बनाम अज्ञात से सम्बन्धित प्रकाश में आये 01 अभियुक्त व 01 बाल अपचारी को लूटे गये सामान व 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. अंकित उर्फ करिया पुत्र संजेश निवासी कांशीराम कालोनी हैवतपुर गढिया थाना मऊदरवाजा जनपद फर्रूखाबाद
2. बाल अपचारी

घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 01.04.2026 को थाना मऊदरवाजा पर वादी श्री आरिफ हुसैन पुत्र हसनूर खान मोहल्ला दारा सराय कस्बा समधन थाना गुरुसहायगंज जिला कन्नौज द्वारा तहरीर दी गई कि दिनांक 31.03.2026 की रात्रि को कम्पनी की क्लोजिंग कर ई-रिक्शा से वापस घर जा रहा था, रास्ते में करबला रोड भोपल नगला के पास ई-रिक्शा सवार दो अज्ञात व्यक्तियो नें वादी की जेब में रखा मोबाइल व 27-28 हजार रुपये निकाल लिये तथा सिर पर ईंट से वार कर घायल करके भाग गये। वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 127/2026 धारा 309(6) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में मुखबिर की सूचना पर 02 अभियुक्त 1.अंकित उर्फ करिया पुत्र संजेश निवासी कांशीराम कालोनी हैवतपुर गढिया थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ 2. बाल अपचारी की तलाशी ली गई । अभियुक्त अंकित के कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 01 कारतूस 315 बोर बरामद किया गया तथा अभियुक्त/बाल अपचारी के कब्जे से लूट गये रुपयों में से 1600 रुपये तथा मोबाइल बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त/बाल अपचारी से पूछताछ करने पर उपरोक्त दोनो ने अपने जुर्म से इकबाल करते हुए अपने बयान अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष देना बताया।

अभियुक्त अंकित उर्फ करिया उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 127/2026 धारा 309(6)/317(2) बीएनएस थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
2. मु0अ0सं0 129/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

बाल अपचारी का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 127/2026 धारा 309(6)/317(2) बीएनएस थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 मोबाइल वीवो कम्पनी आसमानी रंग का
2. पर्स व 1600/- रुपये नगद
3. एक अवैध तमंचा
4. एक जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली थाना मऊदरवाजा पुलिस टीम-

1. थाना प्रभारी श्री अजब सिंह
2. उ0नि0 श्री राघवेन्द्र सिंह
3. उ0नि0 श्री पंकज कुमार
4. हे0का0 सरताज अहमद
5. हे0का0 अनुज तिवारी

6. का0 कन्हैयालाल

7. का0 रक्षपाल

8. म0का0 रचना

<u>गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली सर्विलान्स टीम-</u>

श्री सन्तराम प्रभारी सर्विलान्स सेल मय टीम

मीडिया सेल फतेहगढ़।

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना अमृतपुर

दिनांक – 02.04.2026

एसओजी/सर्विलांस व थाना अमृतपुर पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में वाछिंत अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में 01 नाजायज तमंचा व 02 खोखा कारतूस व 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन,कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन,श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री हरीश चंदर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अमृतपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 140/2025 धारा 140(1)/103(1)/238 बीएनएस में नामजद/वाँछित अभियुक्त सुरजीत उर्फ नन्हकू पुत्र अजय पाल यादव निवासी ग्राम गूजरपुर पमारान थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़ को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01. सुरजीत उर्फ नन्हकू पुत्र अजयपाल यादव निवासी ग्राम गूजरपुर पमारान थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण– दिनांक 21.07.2025 को थाना स्थानीय पर वादिनी के द्वारा अपने पुत्र के गुम होने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर गुमशुदगी नं0 13/2025 दर्ज की गयी। दिनांक 31.08.2025 को गुमशुदा की पत्नी के प्रार्थना पत्र के आधार पर गुमशुदगी को मु0अ0सं0 140/25 धारा 140(3) बीएनएस बनाम वाइस्तवा रामू यादव आदि 06 नफर पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में दिनाँक 01.04.2026 को अभियुक्त रामू यादव उर्फ कुलदीप यादव की गिरफ्तारी की गयी। साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 140(3) बीएनएस को लोप करते हुए धारा 140(1)/103(1)/238 बीएनएस की बढोत्तरी की गई। दिनाँक 02.04.2026 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा ग्राम राजपुर से ग्राम परमापुर की ओर जाने वाले रोड पर नामजद व वांछित अभियुक्त सुरजीत उर्फ नन्हकू पुत्र अजयपाल यादव उपरोक्त की घेराबंदी की गई। पुलिस द्वारा उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, किंतु अभियुक्त ने पुलिसकर्मियों पर जान से मारने की नीयत से 02 बार फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा फायर किया गया, जिससे अभियुक्त सुरजीत उपरोक्त घायल हो गया। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। मौके से अभियुक्त के कब्जे से 01 नाजायज तमंचा, 02 खोखा कारतूस तथा 03 जिंदा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया। घटना के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 45/2026 धारा 109(1) बीएनएस एवं 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ में अभियुक्त सुरजीत ने बताया कि उसके भाई रामू यादव उर्फ कुलदीप के मित्र ओमवीर ने हमारी बहन के साथ छेड़खानी की थी,जिस कारण हमारी बहन के रिश्ते उसके ससुरालीजनों से खराब हो गए। इस बात का बदला लेने के लिए हम दोनों भाइयों ने ओमवीर की हत्या की योजना बनाई। दिनांक 20.07.2025 की रात मेरा भाई रामू, मृतक ओमवीर को बहाने से अपने धान के खेत पर ले गया, जहाँ मैं भी शराब लेकर पहुँच गया। वहाँ शराब पिलाने के बाद विवाद होने पर हम दोनों भाइयों ने अंगोछे से गला घोंटकर ओमवीर की हत्या कर दी और शव को खेत में ही गड्ढा खोदकर दबा दिया था।

अभियुक्त सुरजीत उर्फ नन्हकू उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

01.मु0अ0सं0 140/2025 धारा 140(1)/103(1)/238 बीएनएस थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़।

02.मु0अ0सं0 45/2026 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 ए एक्ट थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी का विवरण-

01 तमंचा 315 बोर नाजायज व 02 खोखा कारतूस , 03 जिन्दा कारतूस

गिरफ्तार करने वाली थाना अमृतपुर पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्रीमती रक्षा सिंह
2. उ0नि0 श्री राहुल सिंह
3. हे0का0 सुशील कुमार
4. का0 विकास भाटी
5. का0 मो0 वसीम
6. का0 कपिल कुमार
7. मा0का0 नूतन आर्या

गिरफ्तार करने वाली एसओजी पुलिस टीम-

01.उ0नि0 श्री सचिन सिंह चौधरी प्रभारी एसओजी मय टीम

गिरफ्तार करने वाली सर्विलांस पुलिस टीम-

01.उ0नि0 श्री सन्त कुमार प्रभारी सर्विलांस मय टीम

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।